178/2021/225 अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शाहाबुद्दीन खां श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
26.8.21	पत्रावली पेश हुई । विद्वान अभिभाषकगण की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने रेस्पो0 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 92–अ राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1211 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 1212 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 1318 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 1319 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 363 रकबा 0.51 है0, खसरा नंबर 364 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 365 रकबा 0.68 है0, खसरा नंबर 1108 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 1109 रकबा 0.33 है0, खसरा नंबर 1110 रकबा 0.02 है0,, खसरा नंबर 1131 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 1133 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 1318/2453 रकबा 0.07 है0 व खसरा नंबर 1320/2450 रकबा 0.10 है0 भूमि ग्राम मोराझड़ी, तहसील नसीराबाद में स्थित है । उक्त आराजियात प्रार्थी के पिता ईदु पुत्र मिश्री के नाम चौसाला जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में दर्ज थी। उक्त आराजी पर प्रार्थी का भी पुश्तैनी हक व अधिकार निहित है किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रार्थी के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज नहीं की गई । इस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी करने पर आमादा है एवं अन्यंत्र हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 26.8.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पर आपत्ति पेश की जिस पर अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 9.4.2021 को आदेश पारित कर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26.8.2020 को निरस्त कर दिया जबकि विवादित भूमि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर मौके पर अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे है । विवादित भूमि रेस्पो0 द्वारा वादीगण/अपीलांटस को विक्रय की गई थी किन्तु नामांतकरण नहीं होने से इसका फायदा उठाते हुए भूमि को पुनः बैचान करने पर आमादा है जिसे पाबंद किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार कर अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 9.4.2021 की पालना एवं प्रभाव को ताफैसला अपील स्थगित फरमाया जावे एवं रेस्पो0 को पाबंद किया जावे कि वे अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न नहीं करे व भूमि का बैचान नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे । हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955	

178/2021/225 रमजान v/s चोरी

पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 26.8.2020 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये । अप्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर अधी0न्याया0 द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर अधी0न्याया0 ने उभयपक्ष को सुनकर आदेश दिनांक 9.4.2021 को पारित करते हुए पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26.8.2020 को निरस्त कर दिया। प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 ने पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26.8.2020 को निरस्त किया है । अधी0न्याया0 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया है । मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जाने के उपरांत अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम निस्तारण किया जावेगा । अपीलांटस ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में जो उज्र लिये है इस संबंध में अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र में पेश करने चाहिये ।

हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण इसी स्तर पर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में निर्णित करे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

आदेश आज दिनांक 26.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर